

राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्त एवं सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिस के लयि:

अनुच्छेद 361, [राज्यपाल](#), [अनुच्छेद 153](#), [न्यायकि समीक्षा](#), [राष्ट्रपति](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#).

मेन्स के लयि :

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्राधान, सविलि और आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ राज्यपाल की प्रतिक्रिया ।

[स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने संविधान के [अनुच्छेद 361](#) के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से दी जाने वाली उन्मुक्त की जाँच करने पर सहमत वियक्त की है ।

- ऐसा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राजभवन की एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के बाद किया गया, जसिने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी ।

अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को क्या-क्या उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं?

- राज्यपाल की उन्मुक्त की उत्पत्ति:
 - यह लैटिन कहावत "रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकरे" या "राजा कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता" से संबंधित है ।
 - अनुच्छेद 361 पर संविधान सभा की चर्चा के दौरान, सदस्य एच.वी. कामथ ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिये आपराधिक उन्मुक्त की सीमा पर सवाल उठाया (विशेष रूप से आपराधिक कृत्यों के लिये उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के संबंध में) ।
 - इन चिंताओं के बावजूद, अनुच्छेद को बना किसी और चर्चा के अपना लिया गया ।
- अनुच्छेद 361 के तहत छूट:
 - न्यायालय के प्रति गैर-उत्तरदायी: अनुच्छेद 361(1) के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिये या उन शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग में किये गए किसी भी कार्य के लिये किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं ।
 - अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का अपवाद है ।
 - आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा: अनुच्छेद 361(2) के तहत, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी ।
 - कोई गरिफ्तारी नहीं: अनुच्छेद 361(3) के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गरिफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है ।
 - सविलि कार्यवाही से सुरक्षा: अनुच्छेद 361(4) के तहत, लिखित नोटिस देने के दो महीने बाद तक राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के लिये कोई सविलि मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है ।
 - नोटिस में कार्यवाही की प्रकृति, कार्यवाई का कारण, मुकदमा दायर करने वाला पक्ष तथा मांगी जा रही राहत का विवरण शामिल होना चाहिये ।



राज्यपाल

(भाग-III)

राष्ट्रपति- अनुच्छेद 52-78 (भाग V); राज्यपाल- अनुच्छेद 153-167 (भाग VI)

राज्यपाल व राष्ट्रपति-समानताएँ

समानता का बिंदु	विशेषताएँ
प्रमुख	♦ दोनों अपने स्तर पर नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक/शीर्षक प्रमुख) हैं
अध्यादेशों का प्रख्यापन	♦ दोनों के पास यह शक्ति है (अनुच्छेद 123- राष्ट्रपति; अनुच्छेद 213- राज्यपाल)
सिविल और आपराधिक कार्यवाही	♦ दोनों कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं; गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। ♦ 2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन	♦ दोनों एक ही कार्यालय में पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं
नियुक्ति अधिकारी	♦ जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है (लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त आदि)।
विधानमंडल में भूमिका	♦ राज्य/संघ विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने और राज्य विधानसभा/लोकसभा को भंग करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियाँ	♦ राज्य/संघ स्तर पर वित्त आयोग का गठन करना
परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति	♦ प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है) ♦ मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ♦ लोकसभा/राज्य विधायिका को भंग करना

राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति

अंतर का बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
निर्वाचन	अप्रत्यक्ष चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
प्रसादपर्यंतता का सिद्धांत	प्रसादपर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है	भूमिका सलाह/परामर्श के अधीन
संविधान में संशोधन	विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है	संविधान संशोधन में कोई भूमिका नहीं
क्षमादान शक्ति	मृत्युदंड की सजा/कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है	मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता; सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं
संवैधानिक विवेकाधिकार	कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं	किसी विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन लगाने और किसी निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार
महाभियोग की स्थिति	संविधान का उल्लंघन	कोई आधार निर्धारित नहीं

न्यायालयों ने अनुच्छेद 361 की व्याख्या किस प्रकार की है?

- डॉ. एस.सी. बारत एवं अन्य बनाम हरविनायक पाटस्कर मामला, 1961: इसमें राज्यपाल के आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण के बीच अंतर किया गया था। जबकि आधिकारिक कार्यों के लिये पूर्ण उन्मुक्त प्रदान की जाती है, राज्यपाल के कार्यों के लिये 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ सविलि कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, 2006: सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक कार्यों के लिये अनुच्छेद 361(1) के तहत राज्यपाल की "पूर्ण उन्मुक्तता" को स्वीकार किया, लेकिन दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिये न्यायिक जाँच की अनुमति दी।
 - इस मामले ने स्थापित किया कि आधिकारिक कार्यों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन जवाबदेही के लिये तंत्र मौजूद है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 2015: व्यापक घोटाला मामले में न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि राज्यपाल राम नरेश यादव को पद पर रहते हुए दुर्भावनापूर्ण प्रचार से अनुच्छेद 361(2) के तहत "पूर्ण संरक्षण" प्राप्त है।
 - अनुचित कानूनी उत्पीड़न को रोकने तथा पद की अखंडता को बनाए रखने के लिये उनका नाम जाँच से हटा दिया गया।
- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कल्याण सहि मामला, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सहि पद पर रहते हुए अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्त के हकदार थे। बाबरी मसजिद विध्वंस से संबंधित मामलों के आलोक में राज्यपाल के कर्तव्यों और गरिमा की रक्षा पर प्रकाश डाला गया।
- तेलंगाना उच्च न्यायालय का नरिणय (2024): इसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि "संवैधान में कोई स्पष्ट या अंतरनिहित प्रतिबंध नहीं है जो राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को नरिसति/अपवर्जति करता हो"।
 - इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्त व्यक्तिगत है और यह न्यायिक समीक्षा को नरिसति/अपवर्जति नहीं करती है।

नोट:

- हाल ही में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह आधिकारिक क्षमता में की गई कार्रवाइयों के लिये आपराधिक अभियोजन से "पूर्ण प्रतिकक्षा" प्रदान की गई है, लेकिन यह प्रतिकक्षा अनौपचारिक या व्यक्तिगत कार्यों तक वसितारति नहीं होती है।

राज्यपाल के पद से संबंधित सफारिशें क्या हैं?

- सरकारिया आयोग (1988):
 - राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिये जहाँ वह नियुक्त किया गया है।
 - दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिये।
 - राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिये न कि केंद्र के एजेंट के रूप में।
 - राज्यपाल को अपनी वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमति एवं वविकपूर्ण तरीके से करना चाहिये और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिये नहीं करना चाहिये।
- वेंकटचलैया आयोग (2002):
 - राज्यपालों की नयुक्त एक समिति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
 - राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिये, जब तक कि सिद्धि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिया जाए।
 - केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिये।
 - राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
 - उसे राज्य सरकार के मतिर, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिये तथा अपनी वविकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिये।
- पुंछी आयोग (2010):
 - इस आयोग ने संविधान से "राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत" वाक्यांश को हटाने की सफारिश की, जो यह सुझाव देता है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है।
 - इसमें प्रस्ताव दिया गया कि राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाना चाहिये, जिससे राज्यों के लिये अधिक स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों (सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित) का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह केंद्र सरकार का मनोनीत सदस्य होता है।
- दोहरी भूमिका: यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, मंत्रपरिषद (CoM) की सलाह से संबंधित होता है और केंद्र सरकार और

- राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 157 और 158: राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।
 - अनुच्छेद 161: राज्यपाल को क्षमादान, दण्ड वरिम आदि देने की शक्ति प्राप्त है।
 - अनुच्छेद 163: राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद द्वारा दी जाती है, सविद्य कुछ स्थितियों में जहाँ विकाधिकार की अनुमति होती है।
 - अनुच्छेद 164: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
 - अनुच्छेद 200: राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधियक को राष्ट्रपति के विचार के लिये अनुमति देता है, अनुमति वापस लेता है या आरक्षति करता है।
 - अनुच्छेद 213: राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है।

और पढ़ें : [राज्यपाल](#), [राज्यपाल की भूमिका](#), [चुनौतियाँ और सुधार परस्ताव](#), [सुर्खियों में राज्यपाल](#): भारत में सुधार का आह्वान, [राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका](#)

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल से संबंधित उन्मुक्ति प्रावधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विकाधीन शक्तियाँ हैं?

1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिसूचित करने के लिये रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना
3. राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कतपिय विधियकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचति सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विचन कीजिये। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विचन कीजिये। (2022)